कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

वनभवन सी ब्लॉक भूतल, तुलसी नगर,लिंक रोड न. 2भोपाल (म.प्र.)

दूरभाष0755&2674248] 2674318 फैक्स0755&2766315 **E-mail—pccfwl@mp.gov.in**

क्र./STSF/WLC/ I/507276/2025 दिनांक 20-09-2025

ALERT NO.04/2025-26

विषयः- दुर्लभ प्रजाति के वन्य प्राणी घडियाल एवं कछुओ की तस्करी एवं अवैध व्यापार के सम्बन्ध में अलर्ट

--00--

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, म.प्र. को प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 12.07.2025 को चंबल नदी से अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव घडियाल एवं कछुआ का अवैध शिकार कर अवैध तस्करी करते हुये 01 सफेद रंग की ओरा गाडी से 30 नग घडियाल एवं 36 नग कछुआ जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमाक 237/20 दिनांक 12.07.2025 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना में पाया गया कि उक्त वन्यजीव घडियाल एवं कछुआ की तस्करी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में की जा रही है।

अत: वन्यजीव घडियाल एवं कछुओं को संरक्षित करने के लिए इस प्रकार का अवैध शिकार एवं तस्करी पर अकुंश लगाना अति आवश्यक है। इस कार्य हेतु

1. चंबल अभ्यारण के अंतगर्त बने घाटों पर वन स्टाफ द्वारा सतत् गश्ती की जावे।
2. गश्ती के दौरान घाटों पर अवैध रूप से मछली पकडने वाले शिकारियों (मछुआरों) पर सतत् निगरानी एवं समय-समय पर उनके घरों की सर्चिंग की जावे।
3. चंबल अभ्यारण के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक घाट प्रभारी को मछली पकडने वाले व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नं., आधार नं. एवं बैंक डिटेल की जानकारी की पंजी तैयार की जावे ।
4. वन्यजीव घडियाल एवं कछुआ के प्रजनन काल की अवधि पर विशेष रूप से घाटों की निगरानी की जावे।
5. जैसा कि विदित है कि चंबल अभ्यारण मध्यप्रदेश के अलावा उत्तरप्रदेश एवं राजस्थान राज्य की सीमा पर भी स्थित है। अत: उक्त क्षेत्र में आने वाले वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत् संबंध में अवगत कराया जाना चाहिये ।
6. समय-समय पर विशेष रूप से गश्ती अभियान चलाकर चंबल नदी में हो रहे अवैधानिक गतिविधियों को रोकने हेतु प्रयास किया जाना चाहिये।

Digitally signed by Subharanjan Sen
Date: 29-09-2025 16:45:58

(शुभरंजन सेन)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
मध्य प्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. विशेष पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ एवं अध्यक्ष स्टेट टाइगर सेल,म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक (क्षेत्रीय) ।
4. समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिज़र्व ।
5. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/ वन्यजीव) ।
6. समस्त संभागीय प्रबंधक राज्य वन विकास निगम इकाई ।
7. समस्त प्रभारी, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स क्षेत्रीय इकाई की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।